

(9)

10-07-17

आभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल  
कैसाक 02 उपस्थित कर्माक 01 ऊपस्थित  
द्वितीय पल उपस्थित। उक्त वाद में 6  
(है.) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी  
है अर्थात् वाद काल वाधित हो गया  
है अतः वाद में आभिलेख की कार्रवाई  
बन्द की जाती है।

f

10/7/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी  
बुन्दू (रांची)